न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 23/2019 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. जयलाल मीणा पुत्र मुन्नालाल जाति मीणा निवासी नागवाडा गूजरान तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश गुर्जर तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।
2. रघुनाथ पि. मु. पून्या
3. गैन्दी देवी पत्नि रामसहाय
4. मूली पुत्री रामसहाय
5. प्रेम पुत्री रामसहाय
6. धप्पो पुत्री रामसहाय
7. शकुन्तला पुत्री रामसहाय
8. गुलाब पुत्री मुन्नालाल
9. हजारी पुत्र नारायण

समस्त जाति मीणा निवासी नानगवाडा गूजरान तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अन्तर्गत रिमाण्ड प्रकरण नामा. सं. 115 दिनांक 26.9.2012 ग्राम नानगवाडा गूजरान बाबत मुकदमा उनवानी प्रकरण जयलाल बना रघुनाथ वगै. न्यायालय तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा)

उपस्थिति : श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगा. 7 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 27.11.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा के समक्ष एक प्रकरण इस आशय का विचाराधीन है कि मृतक रामसहाय की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 26.9.2012 वाके ग्राम नानगवाडा गूजरान तहसीलदार बसवा द्वारा तस्दीक किया गया है। मृतक रामसहाय के दो पुत्र मुन्नालाल व रघुनाथ थे। जिनमे से रघुनाथ अर्सा करीब 57–58 साल पहले 4–5 वर्ष की उम्र में ही पून्या के गोद चला गया था। इस प्रकार मृतक रामसहाय के एक मात्र वारिस मुन्नालाल ही बचा था, परन्तु मुन्नालाल का स्वर्गवास भी रघुनाथ के जीवनकाल में ही हो गया था। मुन्नालाल अपने पीछे प्रार्थी जयलाल को एक मात्र पुरूष वारिस छोडकर फौत हुआ था। इस प्रकार मृतक रामसहाय का एक मात्र वारिस प्रार्थी जयलाल ही बचा था व प्रार्थी जयलाल ही मृतक रामसहाय की चल व अचल सम्पत्ति का हकदार था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा द्वारा गलत तरीके से बनाये गये सजरा के आधार पर व उसकी जांच करवाये बिना ही मृतक रामसहाय के मुन्नालाल, रघुनाथ, हजारी, गैन्दी, मूली, प्रेम, धप्पो व शकुन्तला को वारिस बताते हुए नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस पर सुनवाई पश्चात् नामा. संख्या 115 दिनांक 26.9.2012 नानगवाडा गुजरान

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरस्त करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त रिमाण्ड नामा. प्रकरण तहसीलदार बसवा के न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 1 जिनको उक्त पत्रावली रिमाण्ड की गई है का अप्रार्थी सं. 2 लगा. 9 से मिला होना व्यक्त करते हुए रिमाण्ड पत्रावली नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 26.09.2012 वाके ग्राम नानगवाडा गुजरान को किसी दीगर तहसीलदार न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगा. 7 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मृतक रामसहाय के दो पुत्र मुन्नालाल व रघुनाथ थे। रघुनाथ पून्या के गोद चला गया। मुन्नालाल का स्वर्गवास भी रघुनाथ के जीवनकाल में ही हो गया था। मुन्नालाल का एकमात्र वारिस जयलाल था। जो कि मृतक रामसहाय की चल व अचल सम्पत्ति का हकदार था। तहसीलदार बसवा द्वारा गलत तरीके से बनाये गये सजरा के आधार पर व उसकी जांच करवाये बिना ही मृतक रामसहाय के मुन्नालाल, रघुनाथ, हजारी, गैन्दी, मूली, प्रेम, धप्पो व शकुन्तला को वारिस बताते हुए नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस पर सुनवाई पश्चात् नामा. संख्या 115 दिनांक 26.9.2012 नानगवाडा गुजरान निरस्त करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त रिमाण्ड नामा. प्रकरण तहसीलदार बसवा के न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 1 जिनको उक्त पत्रावली रिमाण्ड की गई है। वो अप्रार्थी सं. 2 लगायत 9 से मिले हुए है एवं उक्त प्रकरण का फैसला प्रार्थी के विरूद्ध करने पर आमादा है। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 14.5.2019 वास्ते बहस मुकर्रर थी। उक्त दिनांक को तहसीलदार बसवा ने आगामी तारीख पेशी वास्ते बहस लोकसभा चुनावों में व्यस्त होने के कारण 4.6.2019 मुकर्रर कर दी। उक्त प्रकरण में पुरानी जमाबन्दीयां एवं दस्तावेजात की नकल बहस के दौरान प्रस्तुत करने हेतु एवं आदेशिकाओं की नकल लेने हेतु प्रार्थी दिनांक 28.5.2019 को तहसीलदार कार्यालय बसवा में गया तो ऑफिस कानूनगो ने प्रार्थी से कहा कि आदेशिकाओं की नकल अभी नहीं दी जा सकती क्योंकि पिछले दो महीने से ऑर्डरशीट्स नहीं लिखी जा रही है। इस पर प्रार्थी तहसीलदार बसवा के चैम्बर में उपस्थित हुआ तो चैम्बर में अप्रार्थी रघुनाथ व उसका लडका गोपाल दोनो बैठे हुए मिले व प्रार्थी को वहां उपस्थित देखकर वहां से तुरन्त उठकर चल दिये। दिनांक 29.5.2019 को रघुनाथ व उसका लडका गोपाल गांव में एलानिया कह रहे थे कि मुकदमा का फैसला उनके पक्ष में ही होगा। तहसीलदार बसवा समस्त कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी के विरूद्ध करने पर आमादा है। प्रार्थी को तहसीलदार बसवा से कतई न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बसवा के यहां विचाराधीन उक्त रिमाण्ड पत्रावली नामा. सं. 115 दिनांक 26.9.2012 नानगवाडा गूजरान को किसी दीगर तहसीलदार न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाने के आदेश फरमाने जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 7 की ओर से निवेदन किया गया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप कि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर रखी है तथा अप्रार्थीगण तहसीलदार बसवा से मिलीभगत कर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करवाने पर आमादा हो रहे है झूठे एवं मनगढन्त आरोप है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर झूठे आरोप लगाये जा रहे है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को महज लम्बे करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। जिससे प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि होती है तथा तहसीलदार बसवा ने अपनी टिप्पणी में प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में भी कोई आपत्ति नहीं होने का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार बसवा के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हम प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय तहसीलदार बसवा में विचाराधीन रिमाण्ड पत्रावली नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 26.09.2012 वाके ग्राम नानगवाडा गूजरान तहसील बसवा को न्यायालय तहसीलदार बसवा से न्यायालय तहसीलदार मण्डावर के यहां स्थानान्तरित किया जाता है। तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली आगामी दिनांक 11.12.2019 से पूर्व न्यायालय तहसीलदार मण्डावर में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा एवं तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official